राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ20(101)/आकाशि/लेखा/बजट/2017/3908 दिनांक : 8/11/19

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (समस्त)
राजस्थान

विषय :– राजकीय महाविद्यालयों में राजस्थान राज्य छात्रनिधि कोष तथा महाविद्यालय विकास समिति कोष से आपात स्थिति में अन्य मदों में व्यय की गयी राशि के समायोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय द्वारा राजस्थान राज्य छात्रनिधि कोष तथा महाविद्यालय विकास समिति कोष से राशि आहरित कर अन्य मदों में व्यय की जाती है, जो उक्त राजस्थान राज्य छात्रनिधि कोष नियम 2019 व महाविद्यालय विकास समिति कोष नियम के प्रतिकूल है।

इसलिये यह आवश्यक है कि महाविद्यालयों के द्वारा छात्रनिधि कोष एवं महाविद्यालय विकास समिति कोष से किये गये व्यय का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में किया जावे।

अतः इस सम्बन्ध में सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित मद में राशि आवंटित होने के तुरन्त पश्चात राजस्थान राज्य छात्रनिधि कोष एवं महाविद्यालय विकास समिति कोष से किये गये व्यय का पुनर्भरण कर समायोजन कोषालय के माध्यम से उसी वित्तीय वर्ष में कराया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार किये गये समायोजन की सूचना पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में ई–मेल आई डी cao.cce@rajasthan.gov.in पर प्रतिवर्ष 15 अप्रैल तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। आपके सुलभ संदर्भ हेतु समायोजन के सम्बन्ध में स्वीकृति आदेश का प्रारूप भी पत्र के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः

01. सूचना पत्र का प्रारूप।
02. समायोजन के लिए स्वीकृति आदेश का प्रारूप।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि :–

01. समस्त प्रभारी अधिकारियों (महाविद्यालय) को प्रेषित कर लेख है कि वे उनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों से सम्पर्क कर समायोजन की वांछित कार्यवाही करवाकर निर्धारित दिनांक तक सूचना मंगवाया जाना सुनिश्चित करावें।
02. वेबसाइट प्रभारी वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रारूप

भुगतान स्वीकृति आदेश

महाविद्यालय में मद.. में बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण महाविद्यालयों की व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिये आकस्मिक व्यय के रूप में महाविद्यालय विकास समिति कोष से निम्न विवरण अनुसार राशि व्यय की गयी थी।

क्र.सं.	एफ.वी.सी बिल संख्या व दिनांक	टी.वी. संख्या	वस्तु / सेवा / कार्य	वस्तु / सेवा / कार्य की राशि
01	02	03	04	05

उक्त राशि रू...........................(राशि शब्दों में.. ....)को मद.. से आहरित कर महाविद्यालय विकास समिति कोष के बैंक खाता संख्या... में जमा कराने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
....

(सूचना के पत्र का प्रारूप)

श्रीमान वित्तीय सलाहकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

विषय :– राजकीय महाविद्यालयों में छात्रनिधि कोष तथा महाविद्यालय विकास समिति कोष से आपात स्थिति में अन्य मदों में व्यय की गयी राशि के समायोजन की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजकीय महाविद्यालयों में राजस्थान राज्य छात्रनिधि कोष तथा महाविद्यालय विकास समिति कोष से आपात स्थिति में अन्य मदों में व्यय की गयी राशि के समायोजन की सूचना आप द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जा रही है :–

क्र.सं.	एफ.वी.सी बिल संख्या व दिनांक जिसके द्वारा राशि का समायोजन किया गया है।	वस्तु/सेवा/कार्य	वस्तु/सेवा/कार्य की राशि	पी.डी. खाता/बैंक खाता संख्या जिसमें राशि समायोजन के पश्चात जमा हुयी है।
01	02	03	04	05

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

....

मोबाईल नं....................................

ई–मेल आई डी.........................

प्रारूप

भुगतान स्वीकृति आदेश

महाविद्यालय में मद.. में बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण महाविद्यालयों की व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिये आकस्मिक व्यय के रूप में राजस्थान राज्य छात्रनिधि कोष से निम्न विवरण अनुसार राशि व्यय की गयी थी।

क्र.सं.	एफ.वी.सी बिल संख्या व दिनांक	टी.वी. संख्या	वस्तु/सेवा/कार्य	वस्तु/सेवा/कार्य की राशि
01	02	03	04	05

उक्त राशि रू.........................(राशि शब्दों में..)को मद... से आहरित कर राजस्थान राज्य छात्रनिधि कोष के पी. डी. खाता संख्या... में जमा कराने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
....